राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3051/2024

राजकुमार वर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उपायुक्त सह उप शासन सचिव (II) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर, राज.।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.10.2024
आदेश की दिनांक : 08.10.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री आर.के. निगम, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी विकास अधिकारी के पद पर पंचायति समिति, रूपवास, जिला भरतपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 02.10.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण विकास अधिकारी पंचायत समिति, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2024 को होनी है। वर्तमान में अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में केवलमात्र 23 दिन ही शेष है। ऐसे में अपीलार्थी को स्थानांतरण से विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के ठीक पहले स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समथन में न्यायिक दृष्टांत डॉ. पुष्पा

मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण एवं अन्य 2001(1)RLR 398T का हवाला देते हुए यह तर्क दिया है कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व कार्मिक का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं माना जाएगा।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक कारणों से किया गया है, जो राज्यहित में किया गया है। अपीलार्थी राजपत्रित अधिकारी है। प्रशासनिक कारणों से किये गये स्थानांतरण आदेश को अधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। उनका यह भी तर्क है कि सेवानिवृत्ति नजदीक होने के उपरांत भी यदि प्रशासनिक कारणों से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है तो उसमें अधिकरण को हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।
4. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया।
5. हम पाते हैं कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति इसी माह की अंतिम तारिख को होनी है। अपीलार्थी वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर नये स्थान पर कार्यग्रहण करेगा, उसके ठीक बाद ही अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो जाएगा। ऐसा किये जाने से अपीलार्थी को न केवल असुविधा होगी, बल्कि ऐसा किया जाना राज्यहित में उचित भी नहीं है, क्योंकि नवीन पद पर अपीलार्थी कोई सारभूत कार्य भी नहीं कर सकेगा।
6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश उचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश दिनांक 02.10.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाता है। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
7. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)